

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,  
प्रमुख सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक- 17 अक्टूबर, 2017

विषय:- नगर निगमों/नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों के कक्षों हेतु आरक्षण के संबंध में निर्गत अनन्तिम अधिसूचनाओं के क्रम में प्राप्त आपत्तियों के संबंध में।


महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-4526/9-1-2017-04निर्वाचन/2017, दिनांक- 11-10-2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा नगर निगमों/नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों के कक्षों हेतु आरक्षण के संबंध में निर्गत अनन्तिम अधिसूचनाओं के सापेक्ष प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण नियमानुसार कराते हुए निस्तारण संबंधी आख्या तथा अन्तिम अधिसूचना का आलेख्य एवं अनन्तिम अधिसूचना के समाचार पत्रों में प्रकाशित प्रति सहित निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र०, लखनऊ को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के पत्र संख्या-4526/9-1-2017-04निर्वाचन/2017, दिनांक-11-10-2017 में की गयी अपेक्षानुसार अनन्तिम अधिसूचना के समाचार पत्रों में प्रकाशन की प्रति, निस्तारण संबंधी आख्या तथा अन्तिम अधिसूचना का आलेख्य सहित प्रत्येक दशा में विशेष वाहक के माध्यम से दिनांक 18.10.2017 को मध्याह्न 12:00 बजे तक निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र०, लखनऊ को (हिन्दी में MS Word के Kruti Dev 010 Font में साइज 16 ) उपलब्ध कराने का कष्ट है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,


  
( मनोज कुमार सिंह )  
प्रमुख सचिव।

### संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा० मंत्री, नगर विकास विभाग, उ०प्र०।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र०, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नगर निकायों के कक्षों के आरक्षण के संबंध में जिलाधिकारियों से प्राप्त होने वाली आख्या/प्रस्तावों का परीक्षण कराकर प्रस्तावों पर अपनी संस्तुति सहित अन्तिम अधिसूचना का प्रस्ताव अविलम्ब शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम उ०प्र०।
4. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उ०प्र०, (पंचायत एवं स्थानीय निकाय, लखनऊ)।

अज्ञा से,

  
( शैलेन्द्र कुमार सिंह )  
विशेष सचिव।